N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0090 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/04/2025 18:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/04/2025 **Date To (दिनांक तक):** 07/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:04 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/04/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/04/2025 18:18:38 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 16 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GAURAV TT COLLAGE AVM SIDDHARTH COLLAGE OF EDUCATION,, BILAWA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AAKASH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** CHETRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON SIKRORI, KSBA KUMHER, डीग, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON SIKRORI, KSBA KUMHER, डीग, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR. LOKESH SINGH		पिता:LET. VIJAY SINGH	1. 102,KRISHANA VIHAR,,GOPALPURA BY PASS,,JAIPUR,MAHESH NAGAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
2	JEETU MEENA		पिता:Na Malum	1. NA MALUM,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 01.04.2025 को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने सामने बैठे व्यक्ति का परिचय आकाश कुमार परिवादी के रूप में करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठांकित आदेश कर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर उक्त पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री आकाश कुमार को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा कुर्सी पर बैठाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें परिवादी द्वारा "मुझे दिनांक 19.07.2024 को PTETसे Bedके लिए GAURAV T.T COLLEGE, BHILWA JAIPUR ALLOTहुई थी, जिसकी फीस 22,000 रूपये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटि कोटा में आॅनलाईन दिनांक 23.07.2024 को जमा करवा दी थी। तत्पश्चात 24..07.2024 को काॅलेज में एडमिशन ले लिया था। मेरी CGLकी परीक्षा होने के कारण मे सितम्बर माह से 19 जनवरी 2025 तक Bed COLLEGE से अनुपस्थित रहा, 20JANURARY2025 को मै COLLEGEगया व लोकेन्द्र सर जो प्रिंसोपल कक्ष में बैठते हैं। उन्हौने मेरे अनुपस्थित काल तथा शेष Bedअवधि में मेरी उपस्थिति के रिश्वत के तौर पर 30,000 रूपयें मांगे अन्यथा मुझे Courseकी प्रक्रिया में शामिल होने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। मैं मेरे वाजिब काम के लिए COLLEGEवालो को कोई रिश्वत या डोनेशन नहीं देना चाहता हूं, मैं रिश्वत लेते हुए COLLEGEकर्मचारी लोकेश जी को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। लोकेश सर रिश्वत/डोनेशन अपने क्लर्क जीतू मीणा को भी दिलवा सकते हैं। मेरा उपरोक्त से न ही कोई उधार बकाया हैं न ही कोई रंजिश हैं मैं Reportकरता हूं कि उनके साथ कानूनी कार्यवाही की जावं' अंकित किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट के अवलोकन तथा उक्त के सबंध में परिवादी से हुई दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग का पाया गया। जिसका मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री हिम्मत कानि0 नं0 560 को तलब कर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (32 जीबी UBONकम्पनी का) मंगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री आकाश कुमार का कानि0 श्री हिम्मत कानि0 नं0 560 का आपस में परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये गये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से हिम्मत कानि0 नं0 560 को अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिवादी को विभागीय डिजीटल वाॅयस रिकार्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर उक्त डिजीटल वायस रिकाॅर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात उक्त डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर में एक नया (32 जीबी UBONकम्पनी का) मेमोरी कार्ड लगाया गया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं कल सुबह काॅलेज खुलते ही कालेज में जाउंगा तो वह अवश्य ही रिश्वत राशि की मांग करेगा। जिस पर विभागीय डिजीटल वाईसरिकार्डर कानि0 हिम्मत को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी के बताये अनुसार दिनांक 02.04.2025 को परिवादी के साथ जाकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायें। तत्पश्चात् दिनांक 02.04.2025 को वक्त 12.05 पीएम पर श्री हिम्मत सिंह कानि0 ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैनें सत्यापन हेतु वाईस रिकार्डर परिवादी को डीवीआर के संचालन की विधि की समझाईस कर डीवीआर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर करीब 11.15 ए.एम पर आरोपीगण से मांग सत्यापन हेतु कालेज परिसर में रवाना किया गया था तथा मैं अपनी पहचान छुपाते हुए आस-पास ही मुकीम हुआ। समय करीब 12.00 पी.एम के करीब परिवादी मेरे पास उपस्थित आया व डिजीटल वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैनें बन्द किया तथा परिवादी ने बताया हैं कि आरोपीगण श्री लोकेन्द्र सर व जीतू सर से मेरी रिश्वत मांग के संबध में वार्ता हुई हैं जो इस वाईस रिकाॅर्डर में रिकार्ड हुई हैं। जिस पर श्री हिम्मत सिंह के मोबाईल से ही परिवादी से वार्ता की गई तो परिवादी ने श्री हिम्मत सिंह द्वारा बताये गये तथ्यों को

ताईद किया। जिस पर परिवादी व श्री हिम्मत सिंह को कार्यालय में उपस्थित आने हेतु हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात् समय 12०:35 पीएम पर परिवादी श्री आकाश कुमार व कानि0 हिम्मत कानि0 नं0 560 उपस्थित कार्यालय आये व श्री हिम्मत सिंह ने डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चलाकर वाईस क्लिप को सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध द्वारा परिवादी को बीएड कोर्स की प्रक्रिया में शामिल करने की एवज में 25,000 रूपये डोनेशन/रिश्वत लेने हेतु सहमत होने की पुष्टि हुई। परिवादी ने उपरोक्त तथ्यों की ताईद कर बताया कि मेरी लोकेन्द्र सर से मेरे अनुपस्थिति काल के 25,000 रूपये डोनेशन की मांग की है। वाईस रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी को बतौर रिश्वत संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था करने बाबत कहा तो परिवादी ने बताया कि मैं दिनांक 03.04.2025 को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आ जाउंगा जिस पर परिवादी को पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात् मामले में अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता के०ा देखते हुये श्री पन्नालाल कानि0 09 से जरिये तहरिर नगर निगम ग्रेटर भेजकर नगर निगम ग्रेटर कार्यालय से श्री विष्णु कुमार वरिष्ठ सहायक, राजस्व शाखा-द्वितीय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर व श्री सुरेश कुमार भटट् कनिष्ठ सहायक उद्यान शाखा नगर निगम गे०रटर जयपुर को अग्रिम गोपनीय कार्यवाही बाबत पाबंद करवाया गया। दिनांक 03.04.2025 को इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी आकाश कुमार से जरिये दूरभाष वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि मुझसे रिश्वती राशि की व्यवस्था अब तक नहीं हुई हैं। मुझे रिश्वती राशि की व्यवस्था करने में समय की आवश्यकता हैं, जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर दिनांक 07.04.2025 सुबह कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई तथा पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान को भी जरिये दूरभाष दिनांक 07.04.2025 को कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। दिनांक 07.04.2025 को समय 10०:40 एएम पर परिवादी श्री आकाश कुमार तथा स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु कुमार वरिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्व शाखा-द्वितीय, नगर निगम गे०रेटर जयपुर व श्री सुरेश कुमार भटट् कनिष्ठ सहायक, उद्यान शाखा, नगर निगम गे०रटर जयपुर भी उपस्थित कार्यालय आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के तौर पर उपस्थित रहने के प्रयोजन के बारे में बताकर उनका परिचय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री आकाश कुमार से करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वायस रिकार्डर निकालकर उसमें रिकार्ड परिवादी एवं संदिग्ध के मध्य दिनांक 02.04.2025 को रिश्वत राशि मांग सम्बन्धी वार्ता को कार्यालय के लेपटा०प की सहायता से दोनों गवाहान को सरसरी तौर पर सुनाई गई। दोनों गवाहान ने परिवादी से बातचीत कर उसकी शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से टै०प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उपरोक्त मौतबीरान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री आकाश कुमार को दिनांक 02.04.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी श्री आकाश कुमार ने अपने पास से प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल राशि 25,000/-रूपये(भारतीय मुद्रा के) पेश किये। परिवादी द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष पेश किये गये प्रचलित भारतीय मुद्रा के 25,000/- रूपयों का विवरण अंकित किया जाकर फर्द मूर्तिब की गई। उपरोक्त नोटों के नम्बर मन् निरीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां० के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को सुपुर्द किये जाने हं०। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल राशि 25,000/-रूपये के नोटों पर पृथक-पृथक फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने हेतु कार्यालय में उपस्थित श्री योगेश कुमार कानि0 202 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त राशि 25,000 रूपये(भारतीय मुद्रा) पर अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार भटट् द्वारा परिवादी श्री आकाश कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास उसके मोबाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री योगेश कुमार कानि0 202 से परिवादी को उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल राशि 25,000/-रूपये को परिवादी द्वारा पहनी जींस पेंट के आगे के दाहिनी जेब में रखवाई गई, परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को तब तक नहीं छुयेगा जब तक रिश्वत मांगने वाला संदिग्ध रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहा रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावे, दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर [redacted] या श्री हिम्मत कानि0 के मोबाईल नं. [redacted] पर मिसकॅल/फोन कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करें। तत्पश्चात् समस्त उपस्थितगणों के०ा आवश्यक हिदायत मुनासिब की गई तथा उपस्थितगण को कानि0 श्री योगेश कुमार के फिनाफ्थलीन पावडर व सोडियाम कार्बानेट पावडर का मिश्रण तैयार कर प्रक्रियानुसार से दृष्टान्त दिखाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम लिया गया

मैमोरी कार्ड लगा हुआ डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर कार्यालय कक्ष की अलमारी से सुरक्षित बाहर निकालकर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत लेन देन हेतु जाने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करवाकर ले जाने हेतु हिदायत की गई। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई । परिवादी का मोबाईल फोन उसे सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि आवश्यकता पड़ने पर ही अपने फोन से बात करें तथा श्री योगेश कुमार कानि0 202 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन एवं सुपुर्दगी नोट, सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर अलग से तैयार कर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय 01०:00 पीएम पर परिवादी श्री आकाश कुमार की रिपोर्ट पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रघुवीरशरण शर्मा पुलिस निरीक्षक, हैड कानि0 श्री कमलेश न0 74, कानि0 हिम्मत सिंह बेल्ट न0 560, कानि0 श्री विनोद कानि0 न0 242, कमलेश कानि0 293, कानि0 श्री जीतराम न0 204, श्री मनीष सिंह कानि0 486, श्रीमती सोहनी महिला कानि0 207 मय स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु कुमार व सुरेश कुमार भटट् मय चालक श्री अमर सिंह न0 327 मय वाहन सरकारी आरजे 14 पी.ई 8775 फार्स टेªवलर से मय लेपटॉप प्रिन्टर, पानी की बोतले व टेªपबॉक्स के ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर समय 01०:50 पीएम पर गौरव टी.टी. कालेज के पास रोड़ पर पहुंचे। जहां परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि संदिग्ध लोकेन्द्र सर सायं 4.00 बजे तक कालेज में ही रहते हैं तथा मुझे कॉलेज में ही रिश्वती राशि लेकर बुलाया हैं, जिस पर परिवादी को संदिग्ध से मिलकर अपने कार्य के सम्बंध मे ंवार्ता कर संदिग्ध द्वारा रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत राशि सुपुर्द करने तथा मन् पुलिस निरीक्षक अथवा श्री हिम्मत सिंह कानि0 के मोबाईल पर मिस काल कर या सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने की हिदायत की गई। हमराही जाब्ता तथा स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध आरोपी तथा परिवादी के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत की गई। परिवादी के पास रखे विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कानि0 हिम्मत सिंह द्वारा प्राप्त किया जाकर, संचालन की विधि परिवादी को समझाईस कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करवाकर परिवादी को समय 1.59 पी. एम पर सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी से मिलने के लिये रवाना किया गया तथा पीछे-पीछे श्री हिम्मत िसह कानि0, मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता भी पैदल-पैदल परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुये। परिवादी कालेज के अन्दर चला गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व हमराही जाब्ता परिवादी के ईशारे के इन्तजार में छुपाव हासिल करते हुए मुकीम हुआ। समय 03.04 पीएम पर परिवादी श्री आकाश कुमार ने पूर्व निर्धारित ईशारा मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ते एवं स्वतंत्र गवाहान के साथ परिवादी के पास पहुंचे, जहां परिवादी ने अपने पास से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया, जिसको देखा तो वह बन्द पाया गया, जिसको सुरक्षित कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने कम्प्यूटर रूम में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही लोकेन्द्र सिंह सर हैं, जो मेरी बीएड के अनुपस्थिति काल व शेष बीएड कोर्स की प्रक्रिया में शामिल करने व शेष अवधि में भी कॉलेज में उपस्थित नहीं आने की एवज में 30,000 रूपये की मांग के अनुसरण में आज 25,000 रूपये की रिश्वती राशि प्रिंसिपल रूम में लेकर तथा शक होने पर कम्प्यूटर रूम में जाकर खिडकी से पीछे की तरफ फेक दिये। जिस पर हिम्मत सिंह कानि0 स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु कुमार व कालेज स्टाफ श्री अरविन्द शर्मा पुत्र श्री रामफूल शर्मा उम्र- 28 साल, निवासी- ग्राम गढी लश्करी, तह- कोटखावदा, जिला जयपुर हाल- कम्प्यूटर आपरेटर (प्राईवेट), सिद्वार्थ कालेज आफ ऐजूकेशन बीलवा जयपुर मो0न0 । के साथ जाकर उक्त राशि मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष लेकर आने की हिदायत की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी को स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये पूर्ण परिचय पूछा तो उसने अपना नाम डा. लोकेन्द्र सिंहपुत्र स्व. श्री विजय सिंह जाति-जाट, उम्र- 44 साल, निवासी- 102, कृष्णा विहार, गोपालपुरा बाईपास जयपुर हाल- प्राचाय, गौरव टी.टी. कालेज व सिद्वार्थ कालेज आफ ऐजुकेशन, सालिगरामपुरा, बीलवा, सांगानेर जयपुर होना बताया। इसी दौरान कानि हिम्मत सिंह व स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु कुमार व स्टॉफ अरविन्द उपस्थित आये व श्री हिम्मत सिंह कानि0 ने बताया कि कम्प्यूटर रूम की पीछे की साईड खिडकी के पास 500-500 रूपये के नोट पडे हुए मिले जिनको स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु कुमार से उठवाकर गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के कुल 50 नोट होकर कुल 25,000/- रूपये होना पाये गये। उक्त राशि को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाया जाकर बरामदशुदा नोटो के नम्बर अंकित किये गये। (फर्द बरामदगी अनुसार) तत्पश्चात् उपरोक्त नोटांे के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। बरामदशुदा उपरोक्त रिश्वती राशि 25,000/-रूपये सुरक्षार्थ स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु कुमार को सुपुर्द कर गवाह को रिश्वत राशि जेब में रखने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि के लिये सरकारी वाहन से टेªपबाक्स, पानी की बोतल मंगवायी गई तथा टेªपबॉक्स में से दो कांच के गिलास निकलवाकर उन्हें पानी से भरकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में संदिग्ध श्री लोकेन्द्र सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की

शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में संदिग्ध श्री लोकेन्द्र ंसिंह के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री लोकेन्द्र सिंह से रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं श्री बीरबल मेडीकल एजूकेशन सोसायटी अन्तर्गत संचालित सिद्वार्थ कॉलेज आॅफ ऐजूकेशन में बतौर प्राचाय कार्यरत हूं । बीरबल मेडीकल एजूकेशन सोसायटी के अन्तर्गत सिद्वार्थ एल.एस.ए कॉलेज व गौरव टी.टी. कॉलेज भी संचालित हैं। उक्त समिति में डा. वन्दना बेनीवाल व कृपाल सिंह मीणा साझेदार हैं। गौरव टी.टी. कालेज में प्रिंसिपल नहीं होने से बीरबल मेडीकल एजूकेशन सोसायटी के चेयरमैन डा. वन्दना बेनीवाल के मौखिक आदेश से वर्तमान में गौरव टी.टी. कॉलेज के प्रिंसिपल का कार्य भी मैं ही देखता हूं। आकाश कुमार बीएड कोर्स में लम्बे समय से अनुपस्थित रहा था जो लम्बे समय बाद उपस्थित आया था, जिसने उक्त अनुपस्थिति काल की उपस्थिति दर्शाने हेतु डोनेशन राशि दी थी। मेरी आकाश से कोई बात नहीं हुई थी, कालेज के बाबू जीतू ने कोई बात की होगी तो मुझे पता नहीं है। बाबू जीतू मीणा आज अवकाश पर हैं। जीतू मीणा ही कॉलेज के लिए डोनेशन लेने का काम करता हैं, जिस पर तस्सली देकर पुनः पूछा गया तो बताया कि मेरे से आकाश की बात हुई थी, आकाश लम्बे समय से कालेज से अनुपस्थित था, जिसकी गैरहाजिरी अवधि को उपस्थिति में दर्ज करने व शेष बीएड कोर्स में शामिल कर शेष अवधि में भी कालेज में अनुपस्थित रहने पर भी उपस्थिति दर्ज करने की एवज में आकाश कुमार ने उक्त डोनेशन राशि मुझे दी थी। मैनें आकाश कुमार से कोई डिमांड नहीं की थी, आकाश ने स्वयं ने ही अनुपस्थिति अवधि को उपस्थिति में दर्ज करवाने के लिए डोनेशन राशि दी थी, जिस पर मौके पर मौजूद परिवादी आकाश कुमार ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि मैं किसी कारणवश सितम्बर 2024 से 19 जनवरी 2025 तक कालेज में नही आ पाया था। दिनांक 20.01.2025 को जब मैं कॉलेज में आकर श्री लोकेन्द्र सर से मिला तो उन्हौनें मुझसे गैरहाजिरी अवधि को उपस्थिति में दर्ज करने की एवज में 25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की, जिस पर मैनें लोकेन्द्र सर को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप पूर्व की अनुपस्थिति को अनुपस्थिति ही रहने दीजिए एवं मुझे शेष बीएड अवधि में शामिल कर लीजिए, अब के बाद मैं लगातार कॉलेज में उपस्थित आ जाउंगा परन्तु लोकेन्द्र सर ने बिना डोनेशन दिये मुझे शेष बीएड अवधि में शामिल करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद मैं एक दो बार और श्री लोकेन्द्र सर से मिला परन्तु उन्हौने बिना डोनेशन दिये शेष अवधि में शामिल करने से स्पष्ट मना कर दिया। श्री लोकेन्द्र सिंह से गैरहाजिरी अवधि को उपस्थिति में दर्ज करने की एवज में डोनेशन राशि प्राप्त करने हेतु कॉलेज को क्या अधिकार हैं व किस नियम के तहत कालेज द्वारा डोनेशन राशि प्राप्त की जाती हैं आदि पूछने पर प्राचाय लोकेन्द्र सिंह ने चुप्पी साध ली, पुनः तस्सली देकर पूछा तो इस बाबत कोई नियम होना नहीं बताया और उक्त डोनेशन अनाधिकृत होना तथा उक्त डोनेशन राशि स्वयं के लिए प्राप्त ना कर कॉलेज समिति के लिए लिया जाना बताया। तत्पश्चात डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया तो आरोपी श्री लोकेन्द्र सिंह व परिवादी की आपस में वार्ता रिकार्ड होना पाया गया। लेन-देन से संबंधित वार्ता रिकार्ड नहीं होना पाये जाने के संबध्ा में परिवादी ने बताया कि मैं कालेज में अन्दर आते ही सर्वप्रथम प्रिंसिपल कक्ष में लोकेन्द्र सर से मिला था लोकेन्द्र सर ने मुझे बैठने के लिए बोल दिया था, मैं काफी देर तक बाहर बैठा रहा, काफी समय बाद मैं पुनः प्रिंसिपल कक्ष में श्री लोकेन्द्र सर के पास जाकर मेरे रिलीविंग लेटर के बार में बात की तो लोेकेन्द्र सर ने मुझसे डोनेशन की मांग की तो मैनें रिश्वती राशि 25,000 रूपये निकाल कर लोकेन्द्र सर को दे दिये, जिन्हौने अपने हाथो से पैसो को गिना था परन्तु हो सकता हैं, जब मैं काफी समय तक बाहर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था इस दौरान संभवतया तकनीकी खामी की वजह से डी.वी.आर. बन्द हो गया। इस कारण उपरोक्त वार्ता डी.वी.आर. में रिकार्ड नहीं हो पाई। डीवीआर में रिकार्ड हुई अन्य वाईस क्लिप की स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जायेगी। कम्प्यूटर कक्ष का अवलोकन किया गया तो कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा होना पाया गया। सीसीटीवी कैमरे के संबंध में श्री लोकेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रिंसिपल कक्ष व अन्य सभी कक्षो में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसकी हार्ड डिस्क प्रिंसिपल कक्ष में लगी हुई हैं, चूंकि प्राचाय कक्ष में हुए रिश्वत लेन-देन व शक होने पर कम्प्यूटर कक्ष में जाकर रिश्वत राशि खिडकी में से पीछे की तरफ फेंकने से सबधित घटनाक्रम सी.सी.टी.वी कैमरे में रिकॉर्ड होने के कारण प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य होने के कारण पिं्रसिपल कक्ष से सीसीटीवी डी.वी.आर.(हार्डडिस्क) आरोपी श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा कॉलेज स्टाफ श्री अरविन्द शर्मा सेे उतरवाई गई व श्री लोकेन्द्र सिंह ने उक्त डीवीआर को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किया जिसे बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी ली गई, जिसकी फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब की जायेगी। (मौके की कार्यवाही की विधिक प्रावधानानुसार कानिस्टेबल जीतराम के मोबाईल(नया मैमोरी कार्ड लगा हुआ) से विडियों रिकार्डिंग बनायी गई, जिसकी आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में नियमानुसार सीडिया/मेमौरी कार्ड प्रतियां तैयार की जायेगी) स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु कुमार के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशि को प्राप्त की जाकर उक्त राशि 25,000 रूपये को सीलचिट कर सबंधित के हस्ताक्षकर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि दिनांक 02.04.2025 को परिवादी व आरोपी लोकेन्द्र सिंह के साथ क्लर्क जीतू मीणा से भी डोनेशन/रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता होना परिवादी ने बताया हैं वह वार्ता डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हैं,

इसलिए प्रकरण में संदिग्ध जीतू मीणा से भी अनुसंधान किया जाना आवश्यक हैं जिस पर आरोपी श्री लोकेन्द्र सिंह से जीतू सिंह मीणा के मोबाईल नम्बर प्राप्त किये जाकर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल न0 से संदिग्ध जीतू के मोबाईल न0 पर सम्पर्क कर तथ्यों से अवगत करवाया जाकर अनुसंधान हेतु उपस्थित होने हेतु कहा गया तो संदिग्ध जीतू मीणा द्वारा परिवार में आकस्मिक मृत्यु होने से फिलहाल उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की जिस पर संदिग्ध जीतू मीणा को अविलम्ब अनुसंधान हेतु उपस्थित होने की हिदायत की गई। तत्पश्चात आरोपी लोकेन्द्र सिंह से परिवादी आकाश कुमार की उपस्थिति के सबंध में का॑लेज द्वारा संधारित उपस्थिति रजिस्टर के बारे में पूछा गया तो श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी से उपस्थिति रजिस्टर मंगवाकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिसका अवलोकन किया गया तो रजिस्टर के कवर पर गौरव टी.टी. कालेज बीएड फस्र्ट ईयर सेक्सन-ए, क्लास टीचर का नाम- विमल कुमार पाण्डेय लिखा हुआ हैं, रजिस्टर को खोलकर देखा गया तो क्रम सं0 3 पर आकाश कुमार पुत्र श्री चेतराम का नाम अंकित हैं तथा रजिस्टर में माह सितम्बर 2024-25 से मार्च 2025 तक की उपस्थिति दर्ज हैं जिसमें क्रम सं0 3 पर आकाश कुमार की उपस्थिति दर्ज पाई गई हैं, जिस संबंध में श्री लोकेन्द्र सिंह प्राचाय से पूछने पर बताया कि उक्त रजिस्टर क्लास टीचर श्री विमल कुमार पाण्डेय संधारित करते हैं, इस संबंध में क्लास टीचर ही बता सकते हैं। चूंकि उपस्थिति रजिस्टर में परिवादी आकाश कुमार की उपस्थिति का॑लेज द्वारा दर्ज की जाकर परिवादी से उक्त तथ्य को छुपाया जाकर प्राचाय लोकेन्द्र सिंह द्वारा अपने अधीनस्थ क्लर्क जीतू मीणा से मिलीभगत कर परिवादी से दौराने मांग सत्यापन अनुपस्थिति अवधि को उपस्थिति में दर्ज करने व शेष अवधि के लिए बीएड पाठ्यक्रम में शामिल कर शेष अवधि के लिए भी अनुपस्थित रहने पर उपस्थिति दर्ज करने की एवज में 30,000 रूपये की मांग की करना पाया गया हैं। अतः उपरोक्त मूल रजिस्टर को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। प्राचाय श्री लोकेन्द्र सिंह को परिवादी आकाश कुमार के का॑लेज में प्रवेश से संबंधित अन्य दस्तावेजात पेश करने हेतु कहा जाने पर श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा आकाश कुमार से संबंधित दस्तावेजात की एक पत्रावली पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली में परिवादी आकाश कुमार के प्रवेश से संबंधित एक लगायत 25 दस्तावेजात संलग्न होना पाये गये जिनकी फोटोप्रति का॑लेज के कम्प्यूटर रूम में लगे फोटोकापी मशीन से करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। मूल पत्रावली श्री अरविन्द शर्मा को लौटाई गई। इस प्रकार आरोपी डा. लोकेन्द्र सिंहपुत्र स्व. श्री विजय सिंह जाति-जाट, उम्र- 44 साल, निवासी- 102, कृष्णा विहार, गोपालपुरा बाईपास जयपुर हाल- प्राचार्य, गौरव टी.टी. कालेज व सिद्वार्थ कालेज आफ ऐजुकेशन, सालिगरामपुरा, बीलवा, सांगानेर जयपुर द्वारा बीएड कालेज के प्राचाय की हैसियत से परिवादी श्री आकाश कुमार के बीएड कोर्स के दौरान अनुपस्थिति काल को उपस्थिति में दर्शाने व शेष बीएड कोर्स के सैशन में सम्मिलित कर शेष अवधि में भी उपस्थित नहीं होने की आवश्यकता की एवज में दिनांक 02.04.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान अपने अधीनस्थ क्लर्क से मिली भगत कर 30,000/- रूपये बतौर रिश्वत/डोनेशन की मांग करना व रिश्वत मांग के अनुसरण में दिनांक 07.04.2025 को परिवादी से 25,000/- रूपये अनुचित लाभ प्राप्त करना अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 61 बी.एन.एस 2023 में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर डिजीटल वाईस रिका॑र्डर में रिका॑र्ड वार्ताओ का एफएसएल से मिलान करवाये जाने हेतु आरोपी को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपी ने स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इनकार किया जिसकी फर्द नमूना आवाज पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी को॑ उसके जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी के प्रिंसिपल कक्ष से सीसीटीवी कैमरो के डी.वी.आर.(हार्डडिस्क) को जरिये फर्द पृथक से बतौर वजह सबूत जब्त किया जाकर मार्क - DVRअंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा एवं हालात मौका मुर्तिब किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय 06ः50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री लोकेन्द्र सिंह मय श्री रघुवीरशरण शर्मा पुलिस निरीक्षक, श्री कमलेश हैड कानि0 न0 74, कानि0 हिम्मत सिंह बेल्ट न0 560, कानि0 श्री विनोद कानि0 न0 242, कमलेश कानि0 293, कानि0 श्री जीतराम न0 204, श्री मनीष सिंह कानि0 486, श्रीमती सोहनी महिला कानि0 207 मय स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु कुमार व सुरेश कुमार भटट् मय चालक श्री अमर सिंह न0 327 मय वाहन सरकारी आर.ज.॑ 14 पी.ई 8775 फार्स टे॑वलर से मय लेपटाप प्रिन्टर व टे॑पबाक्स मय जप्तशुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि के गौरव टी.टी. का॑लेज से ब्यूरो मुख्यालय के लिये रवाना होकर समय 07ः50 पीएम पर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा। तत्पश्चात् समय 07ः55 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 07.04.2025 को टे॑प कार्यवाही के दौरान कानि0 जीतराम न0 204 के मोबाईल (नया 32 जीबी का सेनडिस्क कम्पनी का मेमौरी कार्ड लगा हुआ) से की गई विडियों रिकार्डिंग के मूल मैमोरी कार्ड से लेपटाप की सहायता विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगा दूसरा मेमौरी कार्ड तैयार किया गया तथा तत्पश्चात मोबाईल फोन में लगे मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर प्लास्टिक कवर में सुरक्षित रखकर माचिस की खाली डिब्बी में उक्त मैमोरी कार्ड को प्लास्टिक कवर सहित रखकर माचिस की डिब्बी को टैप लगाकर सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सीलकर

शील्डमोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर "मार्क-"VSD अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। विभागीय डिजीटल वाॅयस रिकार्डर में लगे दूसरे मैमोरी कार्ड को भी निकाल कर सफेद कागज में लपेटकर अनुसंधान अधिकारी के लिये खुला रखा गया। फर्द जब्ती मैमोरी कार्ड विडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री लोकेन्द्र सिंह से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् आरोपी को बंद हवालात किया जाकर रात्रिकालीन निगरानी ड्यूटी श्री महेन्द्र कानि0 372 की मामूर की जाकर आवश्यक हिदायत मुनासिब दी गई। दिनांक 08.04.2025 को परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित कार्यालय आने पर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा डिजीटल वाईस रिकार्डर को निकालकर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को सुनाकर उसमें रिकार्ड वार्ताओं में आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन तथा लेन-देन के समय की वार्ता की शब्द-ब-शब्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की गई। तत्पश्चात दोनों गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकार्डर में दर्ज उपरोक्त वार्ताओं की वाॅयस क्लिपों की कम्प्यूटर/लेपटाप की सहयता से चार सीडिया तैयार मार्का A-1, A-2, A-3, A-4 अंकित कर तीन सिडियों मार्का A-1, A-2, A-3 को प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर सीडी कवर को पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैली में सिलकर सीलमोहर कर कर मार्का A-1, A-2, A-3 अंकित किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं चोथी सी. डी. आर. पर मार्क A-4 अंकित किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रख, चारो सीडियों को कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड को डिजीटल वाईस रिकार्डर से निकालकर मेमौरी कार्ड को सफेद कागज में लपेटकर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी पर टेप चिपकाकर उक्त माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थैली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर मार्क 'SDअंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। गिरफतारशुदा आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल्स एवं बरामदा रिश्वत राशि को जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी डा. लोकेन्द्र सिंहपुत्र स्व. श्री विजय सिंह जाति-जाट, उम्र- 44 साल, निवासी- 102, कृष्णा विहार, गोपालपुरा बाईपास जयपुर हाल- प्राचार्य, गौरव टी.टी. कालेज व सिद्वार्थ कालेज आफ ऐजुकेशन, सालिगरामपुरा, बीलवा, सांगानेर जयपुर द्वारा बीएड कालेज के प्राचार्य की हैसियत से भ्रष्ट व अवैध तरीके से अपने अधीनस्थ आरोपी श्री जीतू मीणा से मिलीभगत कर परिवादी श्री आकाश कुमार के बीएड कोर्स के दौरान अनुपस्थिति काल को उपस्थिति में दर्शाने व शेष बीएड कोर्स के सैशन में सम्मिलित कर शेष अवधि में भी अनुपस्थिति नहीं दर्शाने की एवज में दिनांक 02.04.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 30,000/- रूपये बतौर रिश्वत/डोनेशन की मांग करना व रिश्वत मांग के अनुसरण में दिनांक 07.04.2025 को परिवादी से 25,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है तथा दिनांक 02.04.2025 को दौराने मांग सत्यापन आरोपी लोकेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी से 30,000 रूपये रिश्वत/डोनेशन की मांग कर राशि देने हेतु परिवादी को स्वयं के साथ लेकर अपने अधीनस्थ जीतू मीणा (क्लर्क) के कमरे मे ले जाकर जीतू मीणा को परिवादी से पैसे लेने हेतु कहा गया हैं। परिवादी द्वारा संदिग्ध जीतू मीणा से पूछने पर कि किस नम्बर पर करना हैं, जिस पर संदिग्ध जीतू मीणा ने कहा कि ऑनलाईन नहीं होगा, निकाल के लाना पड़ेगा आदि वार्ता से संदिग्ध जीतू मीणा क्लर्क की आरोपी लोकेन्द्र सिंह से मिलीभगत की प्रथम दृष्ट्या पुष्टि होती हैं, जिसके विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित रहेगा। अतः आरोपीगण 1. डा. लोकेन्द्र सिंहपुत्र स्व. श्री विजय सिंह जाति-जाट, उम्र- 44 साल, निवासी- 102, कृष्णा विहार, गोपालपुरा बाईपास जयपुर हाल- प्राचार्य, गौरव टी.टी. कालेज व सिद्वार्थ कालेज आफ ऐजुकेशन, सालिगरामपुरा, बीलवा, सांगानेर जयपुर 2. आरोपी जीतू मीणा पुत्र नामालुम, उम्र- 30 वर्ष लगभग, पता- नामालुम, क्लर्क, गौरव टीटी कॉलेज एवं सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ एजुकेशन,बीलवा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय पे्रषित है। (सज्जन कुमार) निरीक्षक पुलिस विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सज्जन कुमार, निरीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1. डा. लोकेन्द्र सिंहपुत्र स्व. श्री विजय सिंह जाति-जाट, उम्र- 44 साल, निवासी- 102, कृष्णा विहार, गोपालपुरा बाईपास जयपुर हाल- प्राचार्य, गौरव टी.टी. कालेज व सिद्वार्थ कालेज आफ ऐजुकेशन, सालिगरामपुरा, बीलवा, सांगानेर जयपुर 2. श्री जीतू मीणा पुत्र नामालुम, उम्र- 30 वर्ष लगभग, पता- नामालुम, क्लर्क, गौरव टीटी कॉलेज एवं सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ एजुकेशन,बीलवा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री संदीप सारस्वत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 147 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 522-24 दिनांक 09.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या 01,जयपुर। 2.उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 3.अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Sandeep Saraswat **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/04/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				
2	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)